राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प. 8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 3286 जयपुर दिनांक 10/02/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना कमांक प.8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 9356 दिनांक 24.08.2016 में कर का निर्धारण सम्पत्ति की वर्गीकरण के अनुसार किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विभिन्न नगर निकायो द्वारा मिटिंगो के दौरान यह जानकारी चाही गई है कि नगरीय विकास कर की गणना हेतु संस्थानिक भवनो की डी.एल.सी. दर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में संस्थानिक भवनो की कर गणना किस प्रकार की जावे।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निर्देश प्रदान करती है कि नगरीय विकास कर के लिये संस्थानिक भवनो की कर गणना हेतु जिन क्षेत्रो की संस्थानिक डी.एल.सी. दर उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रो के लिये संस्थानिक भवन / ईकाईयो की कर गणना आवासीय डी.एल.सी. दर को आधार मानकर की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 3287-3708 जयपुर दिनांक 10/02/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
04. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजसथान।
05. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
06. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
08. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\15.Order.doc